बीकानेर राज्य में कृषक वर्ग एवं कृषि से सम्बन्ध अन्य जातियाँ एवं उनके अधिकार

*डॉ. मनोज कुमार सिननिवार

शोध सारांश

प्राचीन काल से ही आर्थिक दृष्टि से कृषि उत्पादन महत्वपूर्ण रहा है। इस कृषि उत्पादन में संसाधनों के साथ–साथ कृषकों की भी अति महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहाँ की बहुसंख्यक निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जीवन निर्वाह के अन्य साधन, जो बाद में विकसित हुये या तो कृषि पर आश्रित थे या इससे सम्बन्धित। व्यापार लघु उद्योग भी कृषि पर आधारित थे।

बीकानेर राज्य में कृषकों के अध्ययन की ओर विद्धानों का ध्यान मुख्यतः बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में आकृष्ठ हुआ। सर्वप्रथम इतिहासकार मोरलैण्ड ने कृषकों के महत्त्व को उजागर किया। तदुरान्त इरफान हबीब एवं अन्य इतिहासकारों ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण शोध कार्य करके आर्थिक इतिहास लेखन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

इस प्रकार मध्यकालीन बीकानेर राज्य में कृषक अनाज एवं अन्य व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करता था। इरफान हबीब के अनुसार ''कृषक वर्ग से तात्पर्य उन बहसंख्यक लोगो से है जो अपने औजार तथा हथियार और अपने श्रम का उपयोग कर स्वयं खेती करने का उत्तरदायितव निर्वाह करते थे।''[1] पर मध्यकालीन बीकानेर राज्य में ऐसे कृषक भी थे जिनके पास स्वयं के न तो औजार थे और न स्वयं की जमीन थी। वे कृषि कार्य से ही अपना व अपने परिवार का पेट पालते थे। इतिहासकार मोरलैण्ड के अनुसार किसान से तात्पर्य समाज के उस वर्ग से है जो स्वयं के लिये, लाभ के लिये, अपने परिवार वालो तथा मजदूरों की सहायता से खेत जोतता है। चाहे उसकी भूमि पर स्वामित्व था या स्वामित्व किसी प्रकार का न हो।[2]

इस प्रकार वास्तव में जो भी व्यक्ति जमीन पर कृषि कर्म द्वारा अपनी जीविका चलाता था, वह कृषक कहलाता था।[3]

इस प्रकार बीकानेर राज्य में, कृषक द्वारा नियंत्रित भू क्षेत्र के विस्तार, उनके द्वारा क्षय प्रयोग किये जाने वाले भाड़े के श्रम की अधिकता, सम्पति सम्बन्धों तथा धन सम्पति के आधार पर कृषक समुदाय स्पष्ट रूप से तीन भागों में विभाजित था। खुद काश्त, पाही काश्त तथा मुजा रियान।[4] इनके अतिरिक्त भूमिहीन कृषकों को एक वर्ग भी प्रत्येक गांव में पाया जाता था जो कि अपनी श्रम शक्ति के क्षय अपना जीवन यापन करते थे।[5]

खुद काश्त किसान को राज्य के सरकारी दस्तावेजों जैसे कागद व हासल बहियों में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह जो बैल आदि के लिए धन का भुगतान स्वयं करने के पश्चात रिआया से खेती करवाता है और जो वहां खेती करता हो अर्थात् जिसका जमींदारी भूमि में घर हो और वहां खेती करता है उसे खुद काश्त या गारूहाला या गोविते कहा जाता है।[6]

खुद काश्त शब्द का अर्थ है – किसानों का श्रम उस भूमि पर जिसका कि वह मालिक है, अपने परिवार के सदस्यों की सहयता से स्वयं खेती करता हो, उसे खुदकाश्त कहा जाता था।[7]

इस प्रकार खुद काश्त किसान के लिए यह आवश्यक था कि किसी भी जमींदारी क्षेत्र में उसकी स्वयं की खेती योग्य जमीन थे, खेती के साधन हल व बैल आदि सामग्री हो और जिसका उस क्षेत्र में मकान हो उसे अपनी

जमीन को बेचने, हस्तान्तरित करने व बटाई पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। वह उस भूमि को भू–राजस्व का भुगतान जब तक करता रहे, उसे उस भूमि से अलग नहीं किया जा सकता था। पर यदि उस जमीन पर लम्बे समय तक अनुपस्थित रहता है तब राज्य उसकी जमीन का हस्तगत कर सकता है। अन्यथा खुद काश्त किसान अपनी जमीन का स्वयं ही मालिक होता था।[8]

इस प्रकार बीकानेर राज्य में खुद काश्त किसान को अपनी जमीन पर अन्य किसानों तथा कृषि श्रमिकों से खेती कराने का अधिकार प्राप्त था।[9] ये खुद काश्त किसान राज्य के सामन्तों के ही सगे–सम्बन्धी होते थे। इन खुद काश्त किसानों को भूमि पर सभी अधिकार प्राप्त होते थ[10]

पाही – काश्त

मध्यकालीन बीकानेर राज्य के गांवों में किसानों का एक दूसरा वर्ग पाही काश्त होता था। किसानों का दूसरा वर्ग ''पाही'' या ऊपरी (अर्थात् बाहरी) कहलाता था। पाही काश्त कृषक वे कृषक होते थे जो दूसरे गांवों में जाकर कृषि कार्य करते थे तथा वहां उनकी अस्थायी झौंपडियां होती थी।11 दूसरे शब्दों में पाही काश्त किसानों की जोत उस गॉवों में नही होती थी जिसमें उन किसानों का स्थायी निवास होता था। बल्कि वह दूसरे गांवों में अस्थायी निवास ग्रहण करके खेती करते थे।[12]

इन्हें खुद काश्त किसानों का स्तर तथा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते थे। इस प्रकार ''पाही'' का अर्थ उस व्यक्ति से था जो एक गांव में काश्तकार हो तथा एक ही सामन्त के अधीन होता था तथा दूसरे सामन्त की जमीन पर खेती करता था इस प्रकार ये किसान उस गावं की जमीन को जोतते बोते थे। जहां उस गांव में उनका स्थायी निवास नहीं होता था। इन किसानों को ''स्वेच्छाचारी–किसान'' समझा जाता था।[13]

ये किसान जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे उस जमीन की वह न तो वसीयत करा सकता था और न ही वह उसे बेच सकता था और न ही वह उसे रहन या गिरबी चढ़ा सकता था उसके साथ–साथ वह उसे हस्तान्तरित भी नहीं कर सकता था।[14] इस प्रकार इन पाही–काश्तकारों की राज्य में दोहरी स्थिति होती थी–इनकी अपने स्वयं के गांवों में, जहां के ये स्थायी निवासी होते थे, इनकी स्थिति खुद–काश्तकार के समान होती थी तथा दूसरे गांवों में, जहां जाकर ये खेती करते थे, इनकी स्थिति पाही–काश्त की होती थी।

मुजारिनः

मध्यकालीन बीकानेर राज्य के ग्रामीण समाज में किसानों का एक तीसरा वर्ग मुजारिन का रहता था। इन्हें मौसमी अंश हिस्सेदार श्रमिक भी कहा जाता था अर्थात ये मौसम के अनुसार जिन फसलों का उत्पादन किया जाता था, उनमें श्रमिकों के रूप में हिस्सेदारी निभाते थे।[15]

राज्य में ''मुजारिन'' वे किसान होते थे जिनके अधिकार में अपनी स्वयं की भूमि या तो बिल्कुल भी नहीं होती थी अगर होती भी थी, तो बहुत ही सीमित। इन मुजारिन किसानों के अधिकार में अपनी स्वयं की जो भूमि होती थी, उस भूमि पर ये किसान अपना व अपने परिवार के सदस्यों के श्रम का उपयोग भी पर्याप्त तरीके से नहीं कर पाते थे अर्थात् श्रम का उपयोग करने के लिए यह भूमि कम पड़ती थी।[16]

बीकानेर राज्य में कृषकों के उपर्युक्त विभिन्न वर्गो के अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिकों की एक बड़ी संख्या थी प्रत्येक गांव की जनसंख्या में सम्मिलित रहती थी। श्रमिकों का यह वर्ग स्वयं तो किसान नहीं था परन्तु वे अन्य कृषकों को साथ मिलकर कृषि श्रमिक जनसंख्या की रचना करते थे।[17] इन भूमिहीन श्रमिकों के पास अपनी स्वयं की भूमि या तो बिल्कुल ही नहीं होती थी अगर होती भी की तो बहुत ही कम आधा या एक बीघा ही होती थी। जिसके श्रम इन श्रमिकों का जीवन निर्वाह संभव नहीं होता था।[18]

अतः भूमिहीन श्रमिक अपने जीवन यापन के लिए खुद–काश्त एवं पाही काश्त या सामन्तों की जमीन पर श्रमिक के रूप में कृषि कार्य करते थे जिसकी मजदूरी के तौर पर उन्हें फसल कटने के समय उपज का एक निश्चित भाग मिलता था जैसे उत्तरी क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र जो अधिक उपजाऊ थे वहॉ इनको मजदूरी के तौर पर फसल का 1/6 भाग मिलता था तथा पश्चिमी क्षेत्र जो कम उपजाऊ था। वहाँ पर फसल का 1/4 भाग मिलता था।[19] इन श्रमिकों

के पास अपने स्वयं का कृषि साधन जैसे हल, बैल आदि नहीं होते थे। ये सभी साधन जिनकी ये खेती करते थे, उन्हीं के होते थे इस प्रकार ये उस भूमि पर केवल परिश्रम ही करते थे।20

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से हम निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मध्यकालीन बीकानेर राज्य में कृषकों की तीन श्रेणियाँ थी।

1. धनी किसान – खुद काश्त किसान
2. मध्यम किसान – पाही काश्त किसान
3. साधारण किसान – मुजारिमान

***सहायक आचार्य**
विभाग इतिहास
महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय
भरतपुर (राज.)

संदर्भ सूची

1. इरफान –हवीब–दी पीजेन्ट इन इण्डियन हिस्ट्री, इण्डियन हिस्टी कांग्रेस, 1982, पृ. 2
2. डब्ल्यू.एच. मोरलैण्ड–मुस्लिम भारत की कृषि व्यवस्था, पृ. 17
3. वहीं, पृ. 18
4. डॉ. हरिश्चन्द वर्मा–मध्य कालीन भारत, खण्ड–2, पृ. 363
5. वहीं, पृ. 363
6. कागदों की बही न. 8 वि.सं. 1839/1782 के माह सुद 6, रामपुरिया रिकॉडिस, रा. राज. अभिलेखागार, बीकानेर
7. वही
8. डॉ. हरिश्चन्द वर्मा–मध्य कालीन भारत, खण्ड–2, पृ. 363
9. डॉ. जी.एस.एल. देवडा–राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, पृ. 221–222
10. इरफान हवाब–मुगल कालीन भारत की कृषि व्यवस्था, पृ. 35–36
11. डॉ. हरिश्चन्द वर्मा–मध्य कालीन भारत, खण्ड–2, पृ. 363
12. वही
13. डॉ. जी.एस.एल. देवडा–राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, पृ. 222–223
14. कागदों की बही न. 8 वि.सं. 1839/1782 के माह सुद 6, रामपुरिया रिकॉडिस, रा. राज. अभिलेखागार, बीकानेर
15. डॉ. हरिश्चन्द वर्मा–मध्य कालीन भारत, खण्ड–2, पृ. 363
16. ख्वाजा यासीन–भूराजस्व शब्द कोष, पृ. 7–8
17. वही
18. वही
19. डॉ. जी.एस.एल. देवडा–सोशियों इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पृ. 94
20. वही, पृ. 95